

ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति को अनुसार हेतु इस नियम का प्रसारण

करना।

प्राप्ति-प्राप्ति-प्राप्ति

इस नियम की विवरण

कि इस नियम की एक विवरण विवरण विवरण विवरण


१- इस नियम की एक विवरण इस नियम के बहुत सारी लिया गया और उसी विवरण की लिया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	लैंडरेक्टर लिया / सम्बन्धी / उपसभी / कर्मी / लैंडरेक्टर लैंडरेक्टर / सम्बन्धी	सदस्य (लैंडरेक्टर / सम्बन्धी / उपसभी / कर्मी)	सम्बन्धी सूचि नीवार्ड नं.
१	जिराह देवी	००.८	५०	१७७४५३९३१०
२	सनतीष भास्य	०.८.८	३२	३४००७६२३२८
३	सिमष्टवधुर लिंग	३३.५	६५	१६२८४४१२२३
४	जोगलाल गोतम	३८	४३	१८५६८२२७९५
५	प्रियंका शर्मा	०.८.८	६२	१७७४५३९३१०
६	इन्दुजीत गोटम	४८	६०	१३८३२२०६८१
७	उमा दाश	४८	४५	१११८११४८४६
८	राज बुलींचान्द	०.८.८	६०	१२१५५०६७०१
९	शाने चान्द	०.८.८	१८	१५३६००७६८१
१०	प्रियंका देवी	०.८.८	३०	१५५७१२६७०
११	फुलकुमारी	०.८.८.८	५०	१४९०४९००२३४५
१२	जीरादेवी	०.१८.८	५५	६३८७९१४१५९
१३	कुलसुमदेवी	५८	३८	११५३६५५८६४
१४	सरोजादेवी	५८	३२	१८५६३७९४३
१५	भीरादेवी	०.८.८.८	१५	११५६९३९३४४४

२- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

३- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

४- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



कार्यक्रम की समिति के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को देका में खाला लोगने एवं उसकी संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

८- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की संपरेका बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के लिए एवं नियमानुसार एवं आवश्यकानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिला निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित हेतु ताकीड़ि के विकल्पों पर विचार लेने हेतु अधिकृत किया गया।

९- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता में समर्थित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

१०- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।

११- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

१२- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपमोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के नियरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।

१३- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्माण अगूठा
1	जिराऊ डुषी	अध्यक्ष	जिराऊ
2	संतोष चोटपुरा	सचिव	
3	विजय बहादुर उमीद	कोषाध्यक्ष	विजय बहादुर
4	द्वादशल गुरुट	सामान्य सदस्य	द्वादशल गुरुट
5	सिद्धिनाथ सुराट	सामान्य सदस्य	सिद्धिनाथ सुराट
6	इन्द्रजीत गुरुट	सामान्य सदस्य	इन्द्रजीत गुरुट
7	प्रभु उसाहा गुरुट	सामान्य सदस्य	प्रभु उसाहा गुरुट
8	राज बलचारा	सामान्य सदस्य	राज बलचारा
9	द्वात्रिपाट	सामान्य सदस्य	द्वात्रिपाट
10	पिंडी देवी	सामान्य सदस्य	पिंडी देवी
11	फुलकुमारी	सामान्य सदस्य	फुलकुमारी
12	मीरादेवी	सामान्य सदस्य	मीरादेवी
13	कुलमुकुदेवी	सामान्य सदस्य	कुलमुकुदेवी
14	सरोजादेवी	सामान्य सदस्य	सरोजादेवी
15	मीरादेवी	सामान्य सदस्य	मीरादेवी

